

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 986/2024

जगदीश चंद्र अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी, उम्र लगभग 88 वर्ष, निवासी
मकान नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, उप सचिव, सरकार (I), शहरी विकास और आवास विभाग,
राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जयपुर विकास प्राधिकरण, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, अपने
सचिव के माध्यम से।
- उपायुक्त (जोन-II), जयपुर विकास प्राधिकरण, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू
मार्ग, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त (योजना-II), नगर निगम ग्रेटर, प्रधान कार्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री आर.के. माथुर, वरिष्ठ अधि.,

श्री आदित्य किरण माथुर।

प्रतिवादी के लिए:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार डंड

आदेश

18/03/2024

रिपोर्ट करने योग्य

न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है और न्यायिक आदेशों का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए।

1. यह मामला इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा का एक ज्वलंत उदाहरण है और प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा दो बार जारी किए गए निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए अपनी आँखें और कान बंद रखे हुए हैं।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"इसलिए, प्रार्थना है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए और

I) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करके याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण किया जाए कि मकान नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर पर निर्मित घर को सुविधा क्षेत्र से बाहर रखा जाए।

II) प्रतिवादियों को एक परमादेश रिट या इसी तरह की प्रकृति का कोई अन्य आदेश जारी करके याचिकाकर्ता के मकान नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर पर निर्मित घर की स्थिति को अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर में मौजूद अन्य घरों के बराबर रखा जाए और किसी भी कार्रवाई के लिए आगे न बढ़ा जाए।

III) एक उपयुक्त परमादेश रिट या इसी तरह की प्रकृति का कोई अन्य आदेश जारी करके याचिकाकर्ता के नाम पर प्लॉट नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर के संबंध में पट्टा जारी किया जाए, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना घर बनाया है और 1984 से रह रहा है।

IV) एक उपयुक्त परमादेश रिट या इसी तरह की प्रकृति का कोई अन्य आदेश जारी करके प्लॉट नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर पर घर के निर्माण को नियमित किया जाए और ऐसे प्लॉट को सुविधा क्षेत्र में न माना जाए, जो समाज द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत योजना के विपरीत है।

V) यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य और आगे का आदेश भी पारित करने की कृपा कर सकता है, जैसा कि उचित और न्यायसंगत माना जाए।"

3. इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के खिलाफ अपने घर को सुविधा क्षेत्र से बाहर रखने के लिए एक निर्देश की मांग कर रहा है। वकील का कहना है कि इसी शिकायत के निवारण के लिए, याचिकाकर्ता ने पहले दो अलग-अलग रिट याचिकाएं, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 397/2008 और 1687/2018 दायर

करके दो बार इस न्यायालय से संपर्क किया है। वकील का कहना है कि इन दोनों रिट याचिकाओं का इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 08.03.2017 और 04.07.2023 के आदेशों के माध्यम से निपटारा किया गया था और दोनों अवसरों पर, इस न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। वकील का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद, आज तक, इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में दायर किए गए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर प्रतिवादियों द्वारा उनके सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से निर्णय नहीं लिया गया है। वकील का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की गई।

5. यह तथ्य विवादित नहीं है कि उसी शिकायत के संबंध में, याचिकाकर्ता ने पहले 2008 में इस न्यायालय से संपर्क किया था और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 397/2008 का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2017 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निर्णय लिया गया था:

"इस रिट याचिका के माध्यम से, प्लॉट नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर को नियमित करने के लिए एक निर्देश मांगा गया है।

विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता का मामला राज्य सरकार को भेजा गया था लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए राज्य सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला 2006 में उन्हें भेजा गया था और यह अभी भी लंबित है।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि प्लॉट का नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुविधा क्षेत्र में है। यह भी कहा गया है कि यदि प्लॉट का नियमितीकरण किया जाता है, तो यह आवासीय क्षेत्र की 70% सीमा से अधिक हो जाएगा और इस प्रकार सुविधा क्षेत्र को 30% से कम कर देगा। केवल उपरोक्त कारण से, सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

मैंने पार्टियों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड की जाँच की है।

अनुलग्नक-5 की जाँच से पता चलता है कि प्रश्नगत प्लॉट के नियमितीकरण के लिए मामला 27 जनवरी, 2006 को सरकार को भेजा गया था। जैसा कि कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए, इस पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना की जाती है।

तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि राज्य सरकार जेडीए द्वारा अनुलग्नक-5 के तहत भेजे गए मामले पर निर्णय ले और यदि निर्णय नहीं हुआ है तो निर्णय के परिणाम से याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाए। यदि सरकार द्वारा पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा चुका है, तो उसकी प्रति याचिकाकर्ता को भेजी जा सकती है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर अनुपालन किया जाएगा। याचिकाकर्ता अनुपालन के लिए इस आदेश की प्रति भेजते समय उस पर लागू परिपत्र का उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

6. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा उस पर काफी समय तक निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए, इन मजबूर परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने एक और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16487/2018 दायर करके एक बार फिर इस न्यायालय से संपर्क किया, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2023 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ उक्त याचिका का निपटारा किया गया था:

"1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्लॉट नंबर ए-24, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर को याचिकाकर्ता के पक्ष में नियमित करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

2. रिट याचिका के जवाब में, जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'जे.डी.ए.') ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत प्लॉट को सुविधा क्षेत्र घोषित किया गया है और, इसलिए, "राकेश एंड अन्य बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य" (2011) 4 डब्ल्यू.एल.सी. राजस्थान 91 के मामले में माननीय खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है।

3. लंबी बहस के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रश्नगत प्लॉट को सुविधा क्षेत्र घोषित करने के जे.डी.ए. के निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने प्रतिवादी-प्राधिकरण और राज्य सरकार को भी एक अभ्यावेदन दिया था, जो, उनके ज्ञान के अनुसार, राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है और जो जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न नोट-शीट से भी स्पष्ट है।

5. पार्टियों की प्रस्तुतियों और रिट याचिका में शामिल मुद्दे पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

6. वर्तमान रिट याचिका को याचिकाकर्ता को प्रश्नगत प्लॉट को सुविधा क्षेत्र घोषित करने के जे.डी.ए. के निर्णय को चुनौती देने के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है।"

7. फिर से इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2023 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.08.2023 को प्रतिवादियों के कार्यालय में एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद, आज तक, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2023 के आदेश का उचित अनुपालन करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, इन मजबूर परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को उसी शिकायत के लिए तीसरी बार समान राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

8. यह प्रतिवादी-राज्य की ओर से काफी चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि वे हमेशा अपनी आँखें और कान बंद रखे हुए हैं और इस न्यायालय द्वारा बार-बार जारी किए गए आदेशों/निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर यह अवलोकन किया है कि प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जब भी इस न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्ति के अभ्यावेदन पर एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए हैं और इन परिस्थितियों में, वादियों को समान शिकायत के निवारण के लिए बार-बार इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस न्यायालय के समक्ष सैकड़ों ऐसी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का प्रतिवादियों द्वारा पालन नहीं किया गया है और पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों

पर प्रतिवादी-राज्य के अधिकारियों द्वारा उनके सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से निर्णय नहीं लिया गया है।

9. इस न्यायालय की राय है कि किसी को भी कानून की गरिमा को रौंदने और न्यायिक प्रणाली को धोखा देने के उद्देश्य से अपमानजनक आचरण में बेशर्मी से लिस होकर न्याय की धाराओं को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र का ढाँचा कानून के शासन के स्तंभों पर टिका है, जिसे न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता बनाए रखने के लिए बलपूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता है।

10. मोहम्मद असलम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1994 (6) एस.सी.सी. 442 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने यह माना है कि:-

"जब हम अपने देश की एक विशेषता के रूप में कानून के शासन की बात करते हैं, तो (हमारा मतलब है) न केवल यह कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि (जो एक अलग बात है) यह भी कि यहाँ हर व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, राज्य के साधारण कानून के अधीन है और साधारण न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। कानून और उसकी संस्थाओं के प्रति सम्मान ही एकमात्र आश्वासन है जो एक बहुलवादी राष्ट्र को एक साथ रख सकता है। विवादों को हल करने के लिए कोई भी प्रयास, हालांकि वैचारिक और भावनात्मक रूप से आवेशित, कानून के आधार पर और न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि संख्याओं की ताकत पर, हमारी चुनी हुई राजनीतिक व्यवस्था के मूल मूल्यों को विकृत कर देगा। यह स्वीकृत संवैधानिक संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास को नष्ट कर देगा और शांतिपूर्ण साधनों से मुद्दों को हल करने के लिए लोगों के संकल्प को कमजोर कर देगा। यह कानून के शासन और न्यायालयों के अधिकार के प्रति सम्मान को नष्ट कर देगा और व्यक्तिगत अधिकार और संख्याओं की ताकत को भूमि के ज्ञान से ऊपर रखने की कोशिश करेगा।"

11. इसलिए, न्याय के प्रशासन के साथ एक बेलगाम हस्तक्षेप और न्यायिक कार्यवाही के लिए जानबूझकर अवहेलना को अवमानना के न्यायशास्त्र के आधार पर जाँच की जानी चाहिए, ऐसा न हो कि यह आम आदमी की नजरों में न्यायपालिका की गरिमा को कम कर दे।

12. एक पारित आदेश, सही या गलत, का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई पक्ष किसी आदेश से प्रभावित होता है, तो उसे कानून के अनुसार आगे की अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही का सहारा लेने में तुरंत/परिश्रमी कदम उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में, वह आदेश को अनदेखा नहीं कर सकता है और न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का बहाना नहीं बना सकता है।

13. हाल ही में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पवन मीणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024 के मामले में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और निम्नलिखित टिप्पणियां और निर्देश पारित किए हैं:-

"यह कहना अनावश्यक है कि पीड़ित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को, राज्य द्वारा गैर-विचार के माध्यम से, मूक बनाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुपयुक्त आचरण का एक प्रतिबिंब है, जिन्हें नागरिकों, जिसमें राज्य के कर्मचारी शामिल हैं, की सेवा करने और राज्य में उनके विश्वास को बनाए रखने की महान जिम्मेदारी सौंपी गई है। केवल अभ्यावेदनों पर अधिनिर्णय करके, राज्य न केवल खुद को एक मददगार हाथ देगा, बल्कि मुकदमेबाजी की लागत को कम करके, वादियों, न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और राज्य के खजाने को भी वही शिष्टाचार प्रदान करेगा।

इस संबंध में, राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के उपकरणों को पीड़ित पार्टियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने और बोलने वाले आदेशों के माध्यम से उनका निपटारा करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों के समक्ष तुच्छ/अवांछित मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।"

14. यह मामला प्रतिवादियों की ओर से मनमानी का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ इस न्यायालय द्वारा दो पिछले अवसरों पर, अर्थात् 08.03.2017 और 04.07.2023 को जारी किए गए बार-बार निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी लगातार मौन और मूक हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर प्रतिवादियों द्वारा उनके सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से निर्णय नहीं लिया गया है।

15. मामले के उपरोक्त पहलू का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, यह न्यायालय राज्य के मुख्य सचिव को राजस्थान सरकार के प्रत्येक और हर विभाग में एक "अलग सेल" का गठन करने का निर्देश देता है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के मामलों को देखेगा, प्रत्येक ऐसे विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अलग-अलग समितियों/सेलों का गठन करके जो ऐसे अभ्यावेदनों की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के समय पर और परेशानी मुक्त निपटान को सुनिश्चित करेगा। यह न्यायालय आगे राज्य के मुख्य सचिव, सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को दो महीने की अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके ऐसे "शिकायत निवारण सेल" का गठन करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। राज्य के मुख्य सचिव को इस आदेश का अनुपालन करने और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय की जाँच के लिए एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदनों पर आज से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया जाता है, ऐसा करने में विफल रहने पर प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

16. उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निपटाई जाती है।

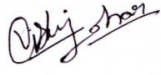
17. इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

18. रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव और शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव को आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायाधीश

आयुष शर्मा/37

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़